# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक.

पीठासीन अधिकारी- : प्रभूदयाल शर्मा **R.A.S.**

राजस्व वाद सं0- : 125/17

बंशीलाल पुत्र हीरा आयु 29 साल जाति गुर्जर निवासी सीतारामपुरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

---वादी

बनाम

1- बरजी देवी पत्नि हीरा आयु 62 साल

2- कानी पुत्री हीरा आयु 43 साल

3- किशनी पुत्री हीरा आयु 40 साल

4- काना पुत्र हीरा आयु 37 साल

5- गिरधारी पुत्र हीरा आयु 34 साल

6- गोविन्द पुत्र हीरा आयु 34 साल

7- तहसीलदारजी, तहसील फुलेरा मु0 सांभर लेक जिला जयपुर

---प्रतिवादीगण

वाद घोषणाएवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 टी0 ऐ0

! निर्णय !! दिनांक- 22.05-2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 स्वर्गीय हीरा पुत्र जेठूराम दत्तक पुत्र सहदेव के वारिसान हैं जिनका सिजरा खानदान वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित किया हैं उक्त सिजरा अनुसार वादी एंव प्रति0 सं0 2 ल0 6 स्व0 हीरा पुत्र जेठूराम दत्तक पुत्र सहदेव के जायन्दा पुत्र/पुत्रिया हैं एंव प्रति0 सं0 1 हीरा की धर्मपत्नि हैं जो मृतक के

उप खण्ड अधिकारी सांभर लेक

Cont.

Scanned by CamScanner

वारिस हैं। यह कि हीरा पुत्र जेठूराम, सहदेव के गोद जाने के कारण सहदेव की छोड़ी आराजी का फोती नामान्तकरण संख्या 62 व 112 खोला जाकर सहदेव की छोडी हुयी आराजी की खातेदारी हीरा दत्तक पुत्र सहदेव के नाम अंकन की गई। हीरा पि0 मु0 सहदेव की छोड़ी हुयी कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी खाता नंबर 119 के खसरा नंबर 100/4 रकबा 11 बीघा, खसरा नंबर 255 रकबा 5 बीघा 03 विस्वा किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 03 विस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम सीतारामपुरा, पटवार हल्का दोबड़ी, गिरदावर हल्का हबसपुरा, तह0 सांभर जिला जयपुर मे स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 100/4, खसरा नंगर 255 वाके सीतारामपुरा की आराजीयात जो स्वर्गीय हीरा पुत्र जेठूराम पि0मु0 सहदेव की छोड़ी हुयी हैं। उक्त हीरा का 2/08/2011 को स्वर्गवास हो गया उसके स्वर्गवास बाद हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम व काश्तकारी प्रावधानो अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 हीरा के दर्ज हिस्से/खातेदारी में सातो समान भाग के अनुसार यानि 1/7-1/7 हिस्से के हकदार हैं वकाबिज काश्त हैं। विवादग्रस्त आराजी वर्णित पेरा नंबर 2 वाद पत्र एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ल0 6 के पिता एंव प्रति0 सं0 1 के पति हीरा की छोड़ी हुई हैं जिसमे वादी एंव प्रति0 सं0 1 ल0 6 सातो समान भाग के हकदार हैं चूंकि हीरा के कुदरती पिता का नाम जेठूराम था और वह सहदेव के गोद चला गया था। सहदेव ना औलाद फोत होने के कारण हीरा मृतक सहदेव के भाई का लड़का होने के कारण व मृतक सहदेव की पगड़ी बंधने व गोद का पुत्र होने से उसके नाम सहदेव की छोड़ी हुयी आराजी का फोती नामान्तकरण संख्या 62 व 112 खोला गया था किन्तु रेकार्ड में हीरा के स्वर्गवास बाद जो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करते समय हीरालाल पुत्र जेठूराम गुर्जर दर्ज कर दिया और दत्तक पिता का नाम सहदेव दर्ज न होने से हीरालाल पुत्र जेठूराम दत्तक पुत्र सहदेव की छोड़ी हुई वादग्रस्त आराजी वर्णित पेरा नंबर 2 वाद पत्र की खोतदारी पटवार हल्का द्वारा नही खोली जा रही हैं एंव वादी ने दिनांक 2/02/2017 को तहसीलदारजी से निवेदन किया तो सम्बन्धित न्यायालय

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

मे वाद पेश कर घोषणा करने की हिदायत दी। पूर्व मे अन्य अराजीयात खसरा नंबर 307, 402/479, 402/480, 397/433, 397/434, 403/419 वाके ग्राम नांगल, खसरा नंबर 4/2, 257 वाके ग्राम सीतारामपुरा में हीरा पुत्र सहदेव के छोडे हुए हिस्से बाबत वादी द्वारा एक वाद संख्या 278/16 मान्य न्यायालय में दायर किया था जो दिनांक 19/05/2017 को वादी के पक्ष में डिक्री किया जा चुका हैं। लेकिन सहवन से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे दायर न होने से यह वाद घोषणा खोतदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने प्रति0 सं0 1 ल0 6 को कथित वादग्रस्त आराजी की खोतदारी की घोषणा सभी के समान भाग की कराने को कहा तो वह इन्कार हो गये एंव वादी के अधिकरो से इन्कार किया ऐसी स्थिति में वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 6 जो मृतक हीरा पुत्र जेठूराम दत्तक पुत्र सहदेव के वारिस हैं हीरा की छोड़ी हुई हिस्से/खातेदारी मे समान भाग के हकदार हैं अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जाना आवश्यक हैं कि वह हीरालाल पुत्र जेठूराम दत्तक पुत्र सहदेव के छोड़ी हुई आराजी में वादी के 1/7 हिस्से मे मजाहमत न करें व बेदखल न करे न अन्य करें न अन्य से करावे। अतः वाद स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः मुझ वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित खसरा नंबर 100/4 रकबा 11 बीघा, खसरा नंबर 255 रकबा 5 बीघा 03 विस्वा किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 03 विस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम सीताराम, पटवार हल्का दोबड़ी गिरदावर हल्का हबसपुरा, तह0 सांभर लेक जिला जयपुर मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 सातो समान भाग के खातेदार काश्तकार हैं।

उक्त वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं अतः प्रतिवादी सं0 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रति0 सं0 1 ल0 6 की तरफ से वकील श्री मोहनलाल वर्मा ने

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Cont.

Scanned by CamScanner

वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एंव जवाब पेश किया गया कि वादी एव प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 हीरा पुत्र जेठूराम दत्तक पुत्र सहदेव के वारिसान हैं जो वादग्रस्त आराजी ख0नं0 100/4 रकबा 11 बीघा ख0नं0 255 रकबा 5 बीघा 03 विस्वा किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 03 विस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम सीतारामपुरा के खातेदार काश्तकार हैं मृत्यु प्रमाण पत्र मे हीरालाल पुत्र जेठूराम गुर्ज्जर होने व राजस्व रिकॉर्ड मे हीरा पि0मु0 सहदेव होने से नामा0 नही खोला जा रहा हैं। पूर्व मे वाद संख्या 278/16 अनुवानी बंशीलाल बनाम बरजी निर्णय दिनांक 19/05/2017 मे अन्य आराजी बाबत पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जा चूका हैं लेकिन सहवन से वादग्रस्त आराजी के संबध मे वाद दायर न होने से एंव उक्त नम्बर मे इनका नामान्तकरण नही खोला गया इस कारण यह वाद घोषणा खातेदारी दायर कर पूर्व मे दायर वाद सं0. 278/16 बंशीलाल बनाम बरजीदेवी आदि मे वादी एंव प्रतिवादी सं01ल06 को सातो को समान भाग का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री 19/5/17 को पारित की गयी उसी अनुरूप प्रस्तुत वाद मे भी हीरा पुत्र जेठूराम पि0मु0 सहदेव के छोडी हुयी आराजी मे भी वादी एंव प्रतिवादीगण 1 ल07 सातो समान भाग के खातेदार घोषित योग्य है अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादीगण ने वाद के समर्थन मे जमाबंदी खाता नं0 43, 152 सम्वत 2071 सें 2075 व नामा0 सं0 112/1 दिनांक 29/04/1973 एंव 62 दिनांक 22/06/1974 के पेश किये व उनके बयान कराये।

वादीगण ने अन्य कोई शहादत पेश नही करना जाहिर करने पर साक्ष्य समाप्त की गई बहस अधिवक्ता सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने वाद मे वर्णित तथ्य दौहराते हुए प्रार्थना की कि वादी का डिक्री किया जाकर घोषणा विवादग्रस्त आराजी वर्णित खसरा नंबर 100/4 रकबा 11 बीघा, खसरा नंबर 255 रकबा 5 बीघा 03 विस्वा किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 03 विस्वा सम्पूण्र वाके ग्राम सीताराम, पटवार हल्का दोबड़ी गिरदावर हल्का हबसपुरा, तह0 सांभर लेक जिला जयपुर मे वादी एंव

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Cont

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 सातो समान भाग के खातेदार काश्तकार हैं। पूर्व मे भी वाद संख्या 278/16 अनुवानी बंशीलाल बनाम बरजी निर्णय दिनांक 19/05/2017 मे अन्य आराजी बाबत पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जा चूका हैं ऐसी स्थिति में वाद वादी का वाद डिक्री जाने योग्य हैं।

**!! आदेश !!**

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जाती है कि विवादग्रस्त आराजी पेरा नंबर 2 वाद पत्र वर्णित खसरा नंबर 100/4 रकबा 11 बीघा, खसरा नंबर 255 रकबा 5 बीघा 03 विस्वा किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 03 विस्वा सम्पूण्र वाके ग्राम सीताराम, पटवार हल्का दोबड़ी गिरदावर हल्का हबसपुरा, तह0 सांभर लेक जिला जयपुर जोअहीरा पि0मु0 सहदेव की छोडी हुयी है मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 सातो समान भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

अतः निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें मिसल फेसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 22-05-2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक.

बइजलास- प्रभूदयाल शर्मा R.A.S.

बंशीलाल बनाम बरजी वगै0 ✪

**वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

वाद सं0 125/17

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू............................................ व हाजिरी..............................मिनजानिब मुद्दई रूबरू............................................ ..................................मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि डिगरी दी जाती हैं वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जाती है कि ✪

निज......................मुबलिग.........................................बाबत............................................ खर्चो इस मुकद्दमे के मय सूद बश्रह.......................................फीसदीसालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...................................का अदा करें।

बसब्त मेरेर दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख...22....माह...05...सन्...2018... को जारी की गई।

दस्तखत...

ओहदा.....................

मुहर

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | | | |
| | | | मीजान | | |

नोट–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner